

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अंतर्गत एमएसएमई (MSME) विक्रेताओं का सूचीकरण

सार्वजनिक क्रय नीति 2012 के अन्तर्गत कम से कम 20 प्रतिशत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एमएसएमई विक्रेताओं से करना अनिवार्य है। उसमें से 4 प्रतिशत क्रय (अर्थात् 20 प्रतिशत का 20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित एमएसएमई विक्रेताओं से किया जाना जरूरी है। सेल ने पिछले अनेक वर्षों से कम से कम 20 प्रतिशत क्रय के समग्र लक्ष्य को निरंतर पूरा किया है परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित विक्रेताओं से 4 प्रतिशत क्रय के उप-लक्ष्य की प्राप्ति अब तक अत्यन्त चूनीपूनी रही है।

केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग से संबंधित ऐसे एमएसएमई विक्रेताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो सार्वजनिक क्रय नीति में यथानिर्देशित 358 आरक्षित मद-श्रेणियों में से किसी में भी गुणवत्ता उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम हों।

उद्योग आधार संख्या (Udyog Aadhar No.) और वैध एमएसएमई (MSME) पंजीकरण की एक प्रति के साथ, प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं का विवरण सेल/ सीएमएमजी को cmmgsail1@gmail.com अथवा cmmgsail2@yahoo.com पर प्रस्तुत/ मेल किया जा सकता है। यदि आप सेल के किसी संयंत्र/ इकाई में पहले से ही पंजीकृत है तो कृपया उस पंजीकरण की एक प्रति भी साथ में लगायें।

महत्वपूर्ण : कृपया इस विषय पर होने वाली उद्घोषणाओं के लिये समय-समय पर सेल वेबसाइट देखते रहें ।

पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल
